बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)–02/2026 341 (वि0ट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-26

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी, (भा0प्र0से0)
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
नालंदा, पूर्णियॉ, लखीसराय, खगडिया एवं सिवान।
निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः– मांग सं0–18 के मुख्य शीर्ष–3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) विपत्र कोड–18–3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु **कुल 5,34,23,000/– (पॉच करोड़ चौतीस लाख तेइस हजार) रुपये मात्र** का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक–2561/वि0 दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक–236/वि0 दिनांक–09.03.2026, पत्रांक–314/वि0 दिनांक–01.04.2026, पत्रांक– 380/वि0 दिनांक–20.04.2026 एवं पत्रांक–926/वि0 दिनांक–31.07.2026 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत **संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 5,34,23,000/– (पॉच करोड़ चौतीस लाख तेइस हजार) रुपये मात्र** कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :–

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01–वेतन	01 वेतन	11,64,50,000	21,01,000
		02 विशेष वेतन	32,18,000	00
		03 जीवन यापन भत्ता	8,47,16,000	11,65,300
		04 मकान किराया भत्ता	1,71,06,000	96,500
		05 परिवहन भत्ता	57,93,000	1,000
		06 चिकित्सा भत्ता	19,56,000	32,000
		07 अन्य भत्ता	30,49,000	40,000
	योग–18–3456.00.001.0003.01–वेतन		**23,22,88,000**	**34,35,800**
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.06–चिकित्सा प्रतिपूर्ति		**8,50,000**	**00**
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	70,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.11–यात्रा व्यय		**70,00,000**	**00**
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	37,00,000	00
		02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	12,00,000	00
		03 दूरभाष	20,00,000	3700
		04 विद्युत प्रभार	37,00,000	8,500
		05 विविध प्रभार	8,00,000	1,00,000
		06 वर्दी/पोशाक	00	00
		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	5,00,000	00
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	10,00,000	00

	योग–18–3456.00.001.0003.13–कार्यालयी व्यय		**1,29,00,000**	**1,12,200**
05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	1,23,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.14–किराया दरें और कर		**1,23,00,000**	**00**
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	**00**
		03 प्रशिक्षण व्यय	10,00,000	**00**
	योग–18–3456.00.001.0003.20–अन्य प्रशासनिक व्यय		**10,25,000**	**00**
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री और पूर्तियाँ	4,06,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.21–सामग्री और आपूर्ति		**4,06,000**	**00**
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.26–विज्ञापन और प्रकाशन		**65,00,000**	**00**
09	28–व्यावसायिक सेवाएँ	02 संविदा सेवाएँ	4,75,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाएँ		**4,75,00,000**	**00**
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.51–मोटर वाहन		**1,000**	**00**
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	01 मशीनें एवं उपस्कर– कार्यालय	4,99,01,000	49875000
		02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य	1,000	00
	योग–18–3456.00.001.0003.52–मशीनें एवं उपस्कर		**4,99,02,000**	**49875000**
	कुल योग–18–3456.00.001.0003–जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		**37,06,73,000**	**5,34,23,000**

2. **कुल 5,34,23,000/– (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेइस हजार) रुपये मात्र** का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' एवं 'ख' में निम्नवत् है :–

: क :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पूर्णियाँ	1000	00	1000	10000	1000	12000	10000	**35000**
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीसराय	317000	00	76000	10000	00	1000	10000	**414000**
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया	883000	00	538300	66500	00	9000	10000	**1506800**
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिवान	900000	00	550000	10000	00	10000	10000	**1480000**
	कुल योगः–	**2101000**	**0**	**1165300**	**96500**	**1000**	**32000**	**40000**	**3435800**

: ख :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	विधि प्रभार	दूरभाष	कार्यालय व्यय	सामग्री एवं पूर्तियाँ	भाडे की गाडी का भुगतान	वाहन ईधन एवं रख रखाव	विधुत प्रभार	मशीनें एवं उपस्कर कार्यालय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नालंदा	100000	00	00	00	00	00	00	00	**100000**
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया	00	3700	00	00	00	00	8500	00	**12200**
3	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	00	00	00	00	00	00	00	49875000	**49875000**
	कुलः–	**100000**	**3700**	**00**	**00**	**00**	**00**	**8500**	**49875000**	**49987200**

3. राशि की निकासी अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिहार पटना/निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से तथा संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। **बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन मे सम्मिलित है।**

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।

8. गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे उपलब्ध कराये गये आवंटन, व्यय एवं अवशेष से संबंधित विवरणी निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

9. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।

10. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)–02/2026 34 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)–02/2026 34 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-2026

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)–02/2026 34 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव कोषांग, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।